2. In the Post Office Recurring Deposit Rules. 1981 in rule 9, in both the Schedules for the last item namely: -

"1-3-1983 onwards-807.60", the following items shall be substituted, namely:-

"From 1-3-1983 to: 31-3-87-- 807.60 From 1-4-87 onwards 797:10".

Note: The principal rules were published vide GSR No. 666(E) dated 17-12-1981. Subsequent amendments were issued vide GSR No. 301(E) dated 1-4-1982, GSR No. 258(E) dated 11-3-1983, GSR No. 62(E) dated 14-2-1984 and GSR No. 95(E) dated 7-2-1986.

[F. No. 2/4/87-NS]

- मा. का. नि. 364 (म्र) :--केन्द्रीय गरकार, सरकारी यचन दैक मिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त गक्तिया का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचन पक्ष (6 निर्मम) नियम, 1981 का और संगोधन करने के लिए निम्नलिखन नियम बनानी है, प्रयांत ---
- 1. (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय त्रज्ञत पन्न (թ निगेम) संक्षोधन नियम, 1987 है ।
  - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त हों।।
- 2. राष्ट्रीय बचन पत्न (6 निर्मम्) नियम, 1981 नियम 19 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः सहयाकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन : सहयांकित उपनियम (1) के प्रश्वात् नियमचित्रित उपनियम ग्रनः स्थापित किया जाएगा, प्रश्नीत् :—-
- "(2) जहां कोई पत्र 1 अप्रैल. 1987 की या उसके परवात् वरीदा जाता है तो उसकी परिषययं की कालावधि की समाध्य के परवात् वरीदा जाता है तो उसकी परिषययं की कालावधि की समाध्य के परवात् व्याज सहित रकम किसी भी रामप पत्न के भ्वात पर 100 त्याए के अंकिन मृत्य के लिए 190.10 रुपए होगे और किशी अन्य अंकिन मृत्य के लिए प्रानुपतिक दर पर होगा । नीचे सारणी में यथा वितिदिष्ट क्याज प्रत्येक वर्ष के अन्त में पत्न के बारक पा धारकों की प्रानुगृत होगा और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के अने में प्रोस्भृत व्याज पांचथे वप के अन्त तक धारक की और में पुन, पुनविनिद्वित किया पदा समझा जाएगा और पत्न के अंकिन मृत्य की रकम में गंकिलन किया काएगा :

मारणी

बह वर्ष जिसके निए ज्याज प्रोद्स्तः होगा	100 रुपए के अफिल मुख्य के पत्र पर प्रोद्भृत प्राज की रेकस रुपए
पहले वर्ष	11.30
दूसरे वर्ष	12.60
नीसरे वर्ष	14.00
भौध वर्ष	15.60
पांचवे वर्ष	17.30
छठे वर्ष	19,30
<u></u>	

टिप्पण '—−क्षिसो श्रन्थ अकित मूल्य के किसी पक्ष पर प्रोद्मृत ब्याज की रकम ऊपर की सारणी में वितिधिष्ट रकम के शनुपात में होगी । टिप्पण '--मूल नियम सा का. ति 309 (अ) तारीख 24-4-81 की प्रकाणित किए गए थे और उनका सा. का नि. 751 (अ) तारीख 10-12-82, सा. का. नि. 259 (अ) तारीख 11-3-83, सा. का. नि. 797 (प) भारीख 24-10-83, सा. का. नि. 715 (अ) तारीख 4-9-1985 और सा. का. नि. 195 (अ) तारीख 12-2-86 द्वारा संशोधन किया गुरा था।

[明대 면 3/15/87—-미래 미맥 ]

G.S.R. 364(E). —In exercise of the powers'conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VI Issue) Amendment Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Rule 19 of the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981 shall be renumbered as subrule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—
  - "(2) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of April, 1987 the amount, inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs. 190.10 for denomnation of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fifth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which	Amount of interest
interest accrues	accriting on certificate
	of Rs. 100 denomina-
	tion
	Rupees
First year	11,30
Second year	12.60
Third year	14.00
Fourth year	15.60
Fifth year	17.30
Sixth year	19.30

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.

Note: The principal rules were issued vide G.S.R. 309(E) dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 751(E) dated 10-12-82, G.S.R. 259(E) dated 11-3-83, G.S.R. 797(E) dated 24-10-83, G.S.R. 715(E) dated 4-9-1985 and G.S.R. 195(E) dated 12-2-1986.

[F. No. 3;15/87-NS]

- सा. का. नि. 365 (म्र) केन्नीय सरकार, सरकारी बनन पन्न श्रिधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त मुक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचन पन्न (7 निर्मम) निप्रम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रूर्यात :—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अव्यय पत्र (7 निर्गम) मंशोधन नियम, 1987 है।
  - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय बजत पन्न (7 निर्गम) नियम 1981 के नियम 19 में, उपनियम (2) के पक्ष्वात् निम्नलिखित उपनियम धन्तः स्थापित किया आएगा, प्रयोत् :---
- "(3) जहां किसी भी अंकित मृत्य का कोई पत्न 1 ग्रंपैल, 1987 की या उसके पण्चात् खरीवा गया है वहां ऐसे पत्न पर ब्याज, पत्न की नारीख से प्रत्येक छह मास के अंत में संदेय होगा, किन्तु उस परिपक्वता कालाविध के परे नहीं जिसके लिए पत्न धारित है। ऐसा ब्याज पत्न के अंकिन मूल्य के 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित किया जाएगा।
- टिप्पण:—मूल्य नियम सा. का. नि. 310 (श्र) तारीख 24-4-81 द्वारा प्रकाणित किए गए थे और उनका मा. का. नि. 752 (श्र) तारीख 10-12-82, मा. का. नि. 260 (श्र) तारीख 11-3-83 सा. का. नि. 798 (श्र) तारीख 24-10-83, सा. का. नि. 716 (श्र) तारीख 4-9-85, सा. का. नि. सं. 85 (श्र) तारीख 3-2-86 और सा. का. नि. 196 (श्र) तारीख 12-2-86 द्वारा संगोधन किया गया था।

[फा. सं. 3/16/87--एम. एस.]

- G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) Amendment Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, in rule 19, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
  - "(3) where a certificate of any denomination has been purchased on or after the 1st day of April, 1987, the interest on such certificate shall be payable at the end of every six months from the date of the certificate but not beyond the maturity period for which the certificate is held. Such interest shall be calculated at the rate of 11 per cent per annum of the face value of the certificate".

Note: The principal rules were published vide G.S.R. 310(E), dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 752 (E) dated 10-12-82, G.S.R. 260(E) dated 11-3-83, G.S.R. 798(E) dated 24-10-83 and G.S.R. 716(E) dated 4-9-85, G.S.R. No. 85(E) dated 3-2-86 and G.S.R. 196(E) dated 12-2-86.

[F. No. 3/16/87-NS]

- ना. का नि. 366 (म):—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्न श्रिधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा विकास पत्न नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखिन नियम बनाती है, श्रियोत् :—
- 1. (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रंविरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1987 हैं ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2 इंदिरा विकास पक्ष नियम, 1986 के नियम 8 को उसके उप-नियम (1) के इप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् किन्तु परन्तुक में पहले निम्नलिखित उपनियम अंत स्थापित किया जाएगा, श्रयांत:——
- "(2) जहां 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चान् किसी भी अंकित भूच्य का कोई पल खरीदा गया है, तो उसका, उसके जारी किए जाने की तारीख में पांच वर्ष 6 सास की प्रवधि की समाित पर किसी भी समय जारी किए जाने जाने डाकधर के समक्ष प्रस्तुत करके भुनाया जा सकता"।
- टिप्पण :-मृत्य निषम श्रिष्ठिलुचना सं. सा. का. नि. 1183 ्य) नारीख 5-11-1986 हारा प्रकाशित और सा. का. नि. 1252 (अ) नारीख 5-12-86 द्वारा सणीधन किए गए थे।

[फा. सं. 3/17/87 एन. एस.] टी. भ्रार. शाहनी, निदेशक